**<u>न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, न्यायालय सं0–14, बाराबंकी।</u>**

मूलवाद संख्या–265/2019

CNR No. UPBB180003652019

रमजान बेग बनाम नूरी बानो आदि

**<u>02.12.2024</u>**

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पत्रावली प्रार्थना पत्र ग–6 की सुनवाई/निस्तारण हेतु नियत है। प्रस्तुत मूलवाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच की याचना सं० 2955/2024 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र ग–6 पर सुनने एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को निर्देशित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में उभय पक्षों को पूर्व में प्रार्थना पत्र ग–6 पर सुना जा चुका है।

**<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 अन्तर्गत आदेश–39 नियम–1 जाब्ता दीवानी</u>**

उपरोक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वादी द्वारा मुख्यतः यह कथन किया गया है कि यह कि वादी व प्रतिवादी सं० 3 ता 11 गाटा सं0 705 रकबा 0. 1320 हे० व 704 क रकबा 0.1900 हे० स्थित ग्राम चिर्रा महफूज पोस्ट चिर्रा परगना रुदौली, तहसील रामसेनहीघाट, जिला बाराबंकी के संयुक्त रूप से संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील चला आ रहा है और है जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में बाकायदा दर्ज चला आ रहा है तथा गाटा सं० 705 रकबा 0.1320 हे0 स्थित ग्राम चिर्रा महफूज पोस्ट चिर्रा, परगना रुदौली, तहसील रामसेनहीघाट, जिला बाराबंकी पर बाग कायम है जिसके फल फूल लकड़ियों आदि का प्रयोग भी वादी व प्रतिवादी सं० 3 ता 11 संयुक्त रूप से करते चले आ रहे हैं। वादी की आराजी गाटा सं0 705 रकबा 0.1320 हे० व 704 क रकबा 0.1900 हे० स्थित ग्राम चिर्रा महफूज पोस्ट चिर्रा, परगना रुदौली, तहसील रामसेनहीघाट, जिला बाराबंकी से ठीक सटा हुआ गाटा संख्या 706 है जिसके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की उक्त आराजी वादी की आराजी से सटी होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं० 1 व 2 आराजी नम्बर 706 की आड़ में वादी की आराजी गाटा सं० 705 रकबा 0.1320 हे० व 704 क रकबा 0.1900 हे० स्थित ग्राम चिर्रा महफूज पोस्ट चिर्रा, परगना रुदौली, तहसील रामसेनहीघाट, जिला बाराबंकी के रकबे पर कब्जा कर निर्माण लेना चाहते है जिसके लिए अमादा फौजदारी है। उक्त आराजी से प्रतिवादी सं० 1 ता 2 का कोई वास्ता व सरोकार न है और न ही कभी रहा है। उसके बावजूद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 वादी की उक्त विवादित आराजी पर लगे पेड़ों को काट कर जबरन उस पर कब्जा कर उस पर निर्माण कर लेने पर अमादा है। वादी एक सीधा–साधा शान्तिप्रिय व कानून प्रिय व्यक्ति है जो की प्रतिवादी सं0 1 ता 2 व उनके सहयोगियों की गुण्डाई व दबंगई का सामना कर पानें में असमर्थ है।उपरोक्त विवादित आराजी के वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 11 संयुक्त रूप से संकमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील चले आ रहे है और है प्रतिवादी सं० 3 ता 11 से वादी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है प्रतिवादी सं0 3 ता 11 को मात्र फार्मल तौर पर पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 16.12.2019 को प्रतिवादी सं० 1 ता 2 अपनें मेलीमददगारों व सहयोगियों के साथ विवादित आराजी पर आये और वादी की उक्त विवादित आराजी पर लगी हरे पेड़ो को नष्ट कर उस पर जबरन कब्जा कर निर्माण कर लेने का असफल प्रयास किया जिस पर वादी व गाँव वालों के बीच में पड़नें तथा पुलिस की मदद से प्रतिवादी सं० 1 ता 2 अपने उपरोक्त नाकिस इरादे में कामयाब नहीं हो सके परन्तु तब से प्रतिवादी सं० 1 ता 2 लगातार धमकियों दे रहे है कि वह जल्द ही वादी के विवादित आराजी पर लगे हरे पेड़ों को नष्ट कर उस पर नाजायज कब्जा कर

निर्माण जरूर कर लेगें तथा चोरी छिपे निर्माण सामग्री भी एकत्रित कर रखी है। जिससे नौबत दावा हाजा की पेश आयी। बिनाय मुखासिमत दावा हाजा बगरज हद अख्तियार समात अदालत हाजा दिनांक 16.12.2019 को प्रतिवादी सं० 1 ता 2 व उनके सहयोगियों द्वारा वादी की विवादित आराजी पर लगे हरे पेड़ों को नष्ट कर उस पर जबरन कब्जा कर निर्माण कर लेने का असफल प्रयास करने तथा उसके उपरान्त लगातार धमकी दिये जाने कि वादी के विवादित आराजी पर लगे हरे पेड़ों को नष्ट कर उस पर अवश्य नाजायज कब्जा कर निर्माण कर लेंगे तथा चोरी छिपे निर्माण सामग्री एकत्रित करने से, न्यायालय श्रीमान जी पर अन्दर हद अख्तियार समात अदालत हाजा पैदा हुई। वादी का प्राइमाफेसाई केस बखूबी साबित है व सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है यदि प्रतिवादी सं० 1 ता 2 अपने नाकिस इरादे में कामयाब हो जाते हैं तो उस सूरत में वादी की अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी अन्य दीगर तरीके से न हो सकेगी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं० 1 ता 2 को रोक दिया जावे कि वह उक्त वाद में विवादित आराजी गाटा सं0 705 रकबा 0.1320 हे० व 704 क रकबा 0.1900 हे० स्थित ग्राम चिर्रा महफूज पोस्ट चिर्रा परगना रुदौली तहसील रामसेनहीघाट जिला बाराबंकी पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा, दखल व इस्तेमाल में कोई हस्तक्षेप न करें व विवादित आराजी पर लगे हरे पेड़ों को नष्ट किये जाने से तथा उस पर नाजायज कब्जा कर निर्माण किये जाने से भी दवामन बाज रहें।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति कागज संख्या ग –35 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र के अधिकतर कथनों से इंकार किया है। प्रतिवादी का संक्षिप्त कथन है कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित गाटा संख्या 705 रकबा 0.1320 हे0, व गाटा संख्या 704 क रकबा 0.1900 हे0 स्थित ग्राम चिर्रा राजस्व अभिलेखों में वादी व अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज होने से इंकार नहीं है , उक्त धारा का शेष कथन बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित गाटा संख्या 706 रकबा 0.1480 हे० प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होना एवं मालिक काबिज होना सही है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उक्त गाटा संख्या 706 विवादित गाटा संख्या 705 व 704 क से सटी होना भी सही है, उक्त धारा का शेष कथन गलत है जिससे इंकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस तौर से तहरीर है, बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, वादी व उसके सहयोगी चालाक व मुकदमेबाज किस्म के व्यक्ति है, जिनके द्वारा गलत तथ्यों पर उक्त वाद उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने के लिए दाखिल किया गया है। प्रार्थना पत्र की धारा 4 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, उक्त धारा के तथ्य मुकदमासाजी के लिए काल्पनिक तौर पर गढे गये है। प्रार्थना पत्र की धारा 5 का कथन जिस तौर से तहरीर है, गलत है, जिससे इंकार है। प्रतिवादी संख्या 3 से 11 द्वारा वादी का गलत वाद में साथ नही दिया इसलिए उन्हें प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है। प्रार्थना पत्र की धारा 6 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, मुकदमेसाजी के लिए गढ़ी गयी है। प्रार्थना पत्र की धारा 7 बिल्कुल गलत है, जिससे इंकार है, कथित तथ्य काल्पनिक है, वादी को कोई वाद कारण प्रतिवादी सख्या एक व दो के विरुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ, उक्त वाद व प्रार्थना पत्र वादकारण के अभाव में ही निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की धारा 8 बिल्कुल गलत है जिससे इंकार है, वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है, और स्थगन आदेश न जारी होने से वादी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी बल्कि यदि किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश उत्तरदाता आपत्तिकर्ता के विरुद्ध जारी किया जाता है तो अपूरणीय क्षति आपत्तिकर्ता की होगी। प्रार्थना पत्र आधारहीन है व पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। स्वीकृत रुप से वादी की गाटा संख्या 705 व 704 क से सटी हुयी प्रतिवादी संख्या एक व दो की गाटा संख्या 706 है, तथा उक्त गाटायें कृषिक भूमि है, और उक्त वाद में प्रार्थनापत्र की धारा 2

व प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण अभिकथन से सीमांकन का विवाद होना दृष्टिगत होता है जिसकी एकमात्र क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को है और वाद व प्रार्थना पत्र धारा 206 30 प्र० राजस्व संहिता से बाधित है तथा श्रीमान जी के समक्ष उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। गाटा संख्या 706 के खातेदार मो० एखलाख बेग आदि ने गाटा संख्या 706 के सीमांकन हेतु वाद अन्तर्गत धारा 24 उ० प्र० राजस्व संहिता श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय रामसनेहीघाट के न्यायालय में योजित किया गया, जिसमें वादी की आपत्ति पर व उक्त वाद में पारित स्थगन आदेश के आधार पर राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 02.09.2021 के आधार पर पैमाइश करने से इंकार कर दिया और उपजिलाधिकारी महोदय को आख्या प्रेषित कर दी कि जब तक दीवानी वाद का निस्तारण नहीं हो जाता पैमाइश कार्य किया जाना संभव नहीं है, इस प्रकार से उक्त वाद में पारित एकपक्षीय स्टे आदेश से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हित प्रभावित है। वादी द्वारा उक्त वाद व उसमें पारित स्टे आदेश के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत सीमांकन कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है, जबकि उक्त आराजी की सीमांकन कराये जाने की अनन्य क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि गाटा संख्या 705 व 704 क से प्रतिवादी संख्या एक व दो से कोई वास्ता व सरोकार नही है, लेकिन वादी द्वारा मौके पर उक्त वाद व उसमें पारित एकपक्षीय स्टे आदेश के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि गाटा संख्या 706 पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वादी के द्वारा गलत तथ्यों पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जिसमें वादी का न तो प्रथम दृष्टया मामला साबित है और न ही सुविधा का संतुलन। वादी के पक्ष में है और न ही वादी को कोई अपूरणीय क्षति हो रही है, यदि उक्त वाद में पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश को निरस्त कर वादी का प्रार्थन पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त न किया गया तो अपूरणीय क्षति प्रतिवादी सं 1 व 2 की होगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त आपत्तियों के आधार वादी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने की कृपा की जावे।

वादी ने अपने कथन के समर्थन में सूची ग– 9 से उद्धरण खतौनी ग–10, खसरा ग–11 व नक्शा ग–12 तथा सूची ग–57 से माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिनांकित 19.06.2024 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल किये हैं।

प्रतिवादीजन ने अपने कथन के समर्थन में सूची ग–37 से उद्धरण खतौनी ग–38 व खसरा ग–39 तथा सूची ग–60 से बैनामा दिनांकित 08.11.2017 की छायाप्रति ग–61, रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक दिनांकित 02.09.2021 ग–62, रिपोर्ट मैप नक्शा व स्थल मेमों, पांच अदद फोटोग्राफ्स ग–63 दाखिल किये हैं।

उभय पक्षों के तर्कों को पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र ग–6 के संबंध में न्यायालय को निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक होता है, जिस पर विचार किया गया–

1. प्रथम दृष्टया वाद
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूरणीय क्षति

**<u>प्रथम दृष्टया वाद</u>**

वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा गाटा सं० 705 रकबा 1320 हे० व 704 क रकबा 0.1900 हे० स्थित ग्राम घिर्रा महफूज पोस्ट घिर्रा परगना रूदौली तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी में दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं० 1 ता 2 को विवादित आराजी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल व इस्तेमाल में कोई हस्तक्षेप करने व

विवादित आराजी पर लगे हरे पेड़ों को नष्ट करने से तथा नाजायज कब्जा कर निर्माण करने से रोक दिये जाने हेतु प्रार्थना की गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित सम्पत्ति के सम्बंध में इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं है कि वादी का रकबा गाटा सं० 705 में स्थित है या प्रतिवादी के गाटा सं० 706 में स्थित है। इस सम्बंध में प्रतिवादीजन द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय, रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी की नकल सीमांकन रिपोर्ट मय मेमो कागज सं० ग–62 की छायप्रति प्रस्तुत की गयी है। रिपोर्ट में यह पृष्ठांकित है कि 'सक्षम न्यायालय द्वारा गाटा सं० 706, 705 व 704 क के विवाद का निस्तारण होने के बाद ही पैमाइश कार्य किया जा सकता है। तौकीर अहमद पुत्र मो० इश्तियाक बेग ने अपनी भूमि श्रीमती नूरी बानो पत्नी मो० अजीज के नाम विक्रय कर दिया है जिससे श्रीमती नूरी बानो प्रतिवादिनी है। विवाद दीवानी न्यायालय में लम्बित होने के कारण पैमाइश कार्य किया नहीं जा सका।' ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि वादी का रकबा किस गाटा संख्या में स्थित है। यह सर्वे अन्तर्गत आदेश 26 जा०दी० का विषय है और साक्ष्य का विषय है। वाद में साक्ष्य आना अभी शेष है। इस स्तर पर वादी के पक्ष में वाद प्रथम दृष्टया होना प्रतीत नहीं होता है।

**<u>सुविधा का सन्तुलन</u>**

जहां तक सुविधा के सन्तुलन का प्रश्न है उपरोक्त विश्लेषण से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आबादी वादी तथा प्रतिवादीजन की संयुक्त आराजी है तथा वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अतः उक्त परिपेक्ष में यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो उसे असुविधा होना असम्भाव्य नहीं है। जितनी असुविधा वादी के पक्ष में दौरान वाद अस्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने की स्थिति में प्रतिवादीजन को सम्भाव्य है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है।

**<u>अपूरणीय क्षति</u>**

जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है वादी का प्रश्नगत सम्पत्ति पर प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन बनना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा का आदेश पारित न किये जाने पर वादी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विश्लेषण व उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति वादी के पक्ष में नहीं है। तदनुसार प्रार्थना पत्र ग–6 निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थना पत्र ग–6 इस आशय से निरस्त किया जाता है। यहां पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस आदेश का प्रभाव वाद के गुण–दोष के निस्तारण पर नहीं होगा।

पत्रावली वास्ते तनकीह दिनांक 10.01.2025 को पेश हो।

**(डॉ० प्रीति भास्कर)**
सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट,
न्यायालय संख्या–14, बाराबंकी।